

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 25 (6) / सामान्य पत्रावली / 2013 / १८

दिनांक : 30-11-2022

- प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, (पुरुष / महिला / विधि / टीएडी)
 - सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय—जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा

विषयः—महालेखाकार, आंतरिक जांच एवं भौतिक सत्यापन की ऑडिट रिपोर्ट के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु अनुपालना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग द्वारा समस्त जांच संबंधी प्रतिवेदन रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को सीधे ही भिजवायी जाती है।

निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय/महाविद्यालय के महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों के लम्बित आक्षेपों में अतिशीघ्र पूर्ण कार्यवाही कर सीधे ही महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग को आक्षेप निस्तारण हेतु अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी गंभीर आक्षेप जिसमें आयुक्तालय द्वारा टिप्पणी किए जाने का उल्लेख है, केवल वही अनुपालना आयुक्तालय के माध्यम से भिजवायी जानी है। अतः उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराएँ।

३५

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 25 (6) / सामान्य पत्रावली / 2013/१८ दिनांक : ३०.११.२०२२

1. वेबसाईट प्रभारी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(डॉ. ललिता शर्मा)

मुख्य लेखाधिकारी

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर